प्रति पुस्तक भण्डार, तिजारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा
अनुवान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 36/2020 | तारीख दायर 18-02-2020 | तारीख फैसला 12/03/2020

उनवान

01. पवन कुमार पुत्र स्व0 श्री जयराम
02. धनकौर
03. बसन्ती पुत्रीयान स्व0 श्री जयराम जाति माली निवासीगण ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: वादीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार, भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 188/6 रकवा 16 विस्वा यानि 0.20 है0, 183/5 रकवा 17 विस्वा यानि 0.22 है0, 184/5 रकवा 1 बीघा 1 बिस्वा यानि 0.26 है0, 186/5 रकवा 17 विस्वा यानि 0.21 है0, 189/1 रकवा 5 बिस्वा यानि 0.06 है0 सालिम भाग, 185 रकवा 2 बिस्वा यानि 0.03 है0 में से 1/6 भाग वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। हाल आराजी खसरा नम्बर 188/6 रकवा 16 विस्वा यानि 0.20 है0, 183/5 रकवा 17 विस्वा यानि 0.22 है0, 184/5 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा यानि 0.26 है0, 186/5 रकवा 17 विस्वा यानि 0.21 है0, 189/1 रकवा 5 बिस्वा यानि 0.06 है0 सालिम भाग, 185 रकवा 2 बिस्वा यानि 0.03 है0 में से 1/6 भाग वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर जो कि साविक आराजी खसरा नम्बर 67 रकवा 15 बीघा 16 बिस्वा, 68 रकवा 15 बिघा 7 बिस्वा से मिलकर वने है। साविक आराजी मिन वादीगण के पिता जयराम पुत्र श्री मुंशी जाति माली व अन्य हिस्सेदार सा0 देह पट्टेदार की आराजी थी। जिसका अमल साविक जमाबन्दी संवत् 2012, 2016, 2020 व खसरा गिरदावरी संवत् 2014 लगायत 2024 व 2031 लगायत 2073 में मिन वादीगण के पिता जयराम व अन्य हिस्सेदारान का मुताबिक हिस्से अनुसार पट्टेदार का अंकन दर्ज रिकार्ड है। वादी का पिता जयराम अपने हिस्से की भूमि पर आराजी पर काविज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करता रहा है। सैटलमेन्ट विभाग के द्वारा पैमुद जमाबन्दी संवत् 2029 में भी उपरोक्त साविक आराजी के हाल नम्बर बनाये गये और पूर्व साविक रिकार्ड के अनुसार ही वादीगण के पिता जयराम व अन्य हिस्सेदारान के नाम पट्टेदार का अंकन दर्ज कर दिया। आराजी के समस्त हिस्सेदारान के मध्य बंटवारा हो गया और मिन वादीगण के पिता जयराम के हक में हाल आराजी खसरा नम्बर 188/6 रकवा 16 बिस्वा यानि 0.20 है0, 183/5 रकवा 17 बिस्वा यानि 0.22 है0, 184/5 रकवा 1 बीघा 1 बिस्वा यानि 0.26 है0, 186/5 रकवा 17 विस्वा यानि 0.21 है0, 189/1 रकवा 5 बिस्वा यानि 0.06 है0 सालिम भाग, 185 रकवा 2 बिस्वा यानि 0.03 है0 में से 1/6 भाग आये, जिसका इंतकाल संख्या 380 वादीगण के पिता के नाम दर्ज व स्वीकार होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन आया है। जिस पर मिन वादीगण का पिता अपने जीवनकाल में काविज व दाखिल रहा है और उसके मरने के बाद ही हम वादीगण जो कि जयराम के विधिक वारिसान है उक्त विवादित आराजी पर

आराजी पर बतौर काश्तकार खातेदार काबिज व दाखिल रहे है। वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ भी उन्हें आराजी में खातेदारी हकूक हासिल हो गये थे। परन्तु मुताबिक कानून व पीका राजस्व कर्मचारियों को मिन वादीगण के पिता जयराम के नामित आराजी को खातेदारी अंकित करनी चाहिये थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने पूर्व साबिक रिकार्ड के अनुसार ही जमाबन्दी संवत् 2024 में वक्त सैटलमेन्ट में भी पट्टेदारी की हैसियत को खातेदारी में परिवर्तित नहीं किया व पट्टेदारी के अंकन को बदस्तूर रखा और पट्टेदारी का अंकन अब हाल जमाबन्दी तक बदस्तूर चला आ रहा है, जो काबिले दुरूस्ती है, जो मिन वादीगण के हकूकों के खिलाफ बातिल तो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है, प्रारम्भ से शून्य है। जिसे मिन वादीगण इसी कदर गलत अंकन को बातिल तो बेअसर करार दिलाकर मिन वादीगण विवादित आराजी के अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है तथा विवादित आराजी में पट्टेदार के अंकन को हजाफ कराकर मिन वादीगण खातेदार काश्तकार का अंकन कराकर इश्तकरारहक की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। दावा के साथ सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया तथा जवाब पेश करने का अवसर प्रदान किया। प्रतिवादी पैरोकार तहसीलदार तिजारा ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की साक्ष्य ली जाकर बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012, 2016, 2020 व खसरा गिरदावरी संवत् 2014 लगायत 2024 वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा के साबिक खसरा नम्बर साबिक आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, 68 रकबा 15 बिघा 7 बिस्वा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत् 2029 हाल आराजी खसरा नम्बर 188/6 रकबा 16 बिस्वा यानि 0.20 है0, 183/5 रकबा 17 बिस्वा यानि 0.22 है0, 184/5 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा यानि 0.26 है0, 186/5 रकबा 17 बिस्वा यानि 0.21 है0, 189/1 रकबा 5 बिस्वा यानि 0.06 है0 सालिम भाग, 185 रकबा 2 बिस्वा यानि 0.03 है0 में से 1/6 भाग पैमुद किये गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13, 15, 16 व 19 के तहत जो भी व्यक्ति पहले पट्टेदार रहा है उसको अपने आप ही खातेदार काश्तकार घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार वादीगण का वाद डिक्री योग्य पाया जाता है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 188/6 रकबा 16 बिस्वा यानि 0.20 है0, 183/5 रकबा 17 बिस्वा यानि 0.22 है0, 184/5 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा यानि 0.26 है0, 186/5 रकबा 17 बिस्वा यानि 0.21 है0, 189/1 रकबा 5 बिस्वा यानि 0.06 है0 सालिम भाग, 185 रकबा 2 बिस्वा यानि 0.03 है0 में से 1/6 भाग वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर पर दर्ज वादीगण के नाम के आगे दर्ज पट्टेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव

तारीख फैसला 12/02/20

मुकदमा नम्बर
36/2020

तारीख दायर
18-02-2020

उनवान

01. पवन कुमार पुत्र स्व0 श्री जयराम
02. धनकौर
03. बसन्ती पुत्रीयान स्व0 श्री जयराम जाति माली निवासीगण ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: वादीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार, भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: पर्चा डिक्री ::-

हाल आराजी खसरा नम्बर 188/6 रकबा 16 बिस्वा यानि 0.20 है0, 183/5 रकबा 17 बिस्वा यानि 0.22 है0, 184/5 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा यानि 0.26 है0, 186/5 रकबा 17 बिस्वा यानि 0.21 है0, 189/1 रकबा 5 बिस्वा यानि 0.06 है0 सालिम भाग, 185 रकबा 2 बिस्वा यानि 0.03 है0 में से 1/6 भाग वाके ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर पर दर्ज वादीगण के नाम के आगे दर्ज पट्टेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)